

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 423] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 1981/पौष 10, 1903
No. 423] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 1981/PAUSA 10, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1981

सं० 209/81 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 683(अ):—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 30 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना सं० 191/81-के० उ० शु० को अधिश्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची की

1150 GI/81

(1971)

मद सं० 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाला और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभावी चीनी के लिए चार सौ पैसे प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करता है :—

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीनी को लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन, किए जाने की अपेक्षा करता है।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1982 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 209/81 के० उ० शु०/का० सं० 7/1/81-के० उ० शु०-1]

डी० मेहता, अधीन सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1981

No. 209/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 683(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 191/81-Central Excises, dated the 30th November, 1981, the Central Government hereby fixes a tariff value of four hundred and sixty five rupees per quintal of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad-valorem :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 1982.

[No. 209/81-CE/F. No. 7/1/81-C.L.I.]

D. MEHTA, Under Secy.